न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2024 G.C.M.S. No. 2024/60 दर्ज दिनांक : 30.04.2024

अपीलार्थिगण:

स्वर्गीय पुनीदेवी के कायम मुकाम:–

1. गवरीदेवी पत्नि अर्जुनराम (पुत्री स्वर्गीय भोपालाराम) उम्र 58 वर्ष, जाति देवासी, निवासी 256, देवासियों का बास, रूडकली, पीथावास, जिला जोधपुर।
2. सीतादेवी पत्नि भागीरथ (पुत्री स्वर्गीय भोपालाराम) उम्र 54 वर्ष, जाति देवासी, निवासी देवासियों का बास, खाराबेरा, भीमावता, जिला जोधपुर।
3. बाबुदेवी पत्नि स्व. देवाराम (पुत्री स्वर्गीय भोपालाराम) उम्र 51 वर्ष, जाति देवासी, निवासी खाराबेरा, भीमावता, जिला जोधपुर।
4. शारदा पत्नि थानाराम (पुत्री स्वर्गीय भोपालाराम) उम्र 33 वर्ष, जाति देवासी, निवासी चैलाणों की ढ़ाणी, रामनगर, रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
5. लक्ष्मी पत्नि रूपाराम देवासी (पुत्री स्वर्गीय भोपालाराम) उम्र 24 वर्ष, जाति देवासी, निवासी महादेवनगर, केरू, तहसील व जिला जोधपुर।
6. नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय भागीरथ देवासी, जाति देवासी, निवासी देवासियों का बास, खाराबेरा, भीमावता, जिला जोधपुर।
7. पृथ्वीराज देवासी पुत्र भागीरथ देवासी, जाति देवासी, निवासी खाराबेरा, भीमावता, जिला जोधपुर।
8. जगदीश देवासी पुत्र भागीरथ देवासी, उम्र 36 वर्ष, जाति देवासी, निवासी देवासियों का बास, खाराबेरा, भीमावता, जिला जोधपुर। (अपीलांट संख्या 1 से 7 जरिये आम मुख्तियार जगदीश देवासी पुत्र भागीरथ देवासी, उम्र 36 वर्ष, जाति देवासी, निवासी देवासियों का बास, खाराबेरा, भीमावता, जिला जोधपुर।)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2018 बअनवान पुनीबाई बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भैराराम परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 24.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2018 बअनवान पुनीबाई बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट ने रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौजा पाली चक द्वितीय के खसरा नंबर 469, गत खसरा 1598 रकबा 12.0677 हैक्टेयर यानि 74 बीघा 11 बिस्वा आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2011 में खसरा तरमीम ठिकाना पाली में गत खसरा सख्या 1287, खाता सख्या 432 के समय से रेकर्ड में वचनाराम वल्दु बालु, कौम राईका का 1/6 हिस्सा दर्ज था, जो बाद में सेटलमेन्ट के समय पर्चा–खतौनी सख्या 338 सन् 1961 बनाते समय नया खाता सख्या 387 व खसरा सख्या 1598 में अन्य खातेदारान के साथ वचनाराम वल्द बालु की जगह सेटलमेन्ट वालों की गलती से बल्ला वल्द बालु कौम राईका दर्ज कर दिया जो रेकर्ड में आगे से आगे उक्त इन्द्राज वर्तमान रेकर्ड में भी दर्ज चले आ रहे हैं। जबकि अन्य खाता सख्या 341 व 342 मे वचना वल्द बालु कौम राईका का नाम की सही इन्द्रा जो खतौनी सम्वत् 2039 से 2042, 2044 से 2047 व 2048 से 2051 में दर्ज इन्द्राज से प्रमाणित है। वचना वल्द बालु कौम राईका का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा आता है, एवं वचना वल्द बालु का देहान्त हो चुका है। तत्समय वचना वल्द बालु की वादीनी पुनी बाई के अलावा अन्य कोई जीवित संतान नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीनी पुनीबाई के तथाकथित आममुख्तियार द्वारा वाद पेश किया गया था, तथा वर्तमान मे वादीनी पुनीबाई को देहान्त दिनाक 24.04.2016 को हो जाने से पुनीबाई के प्रथम श्रेणी के जीवित वैध उत्तराधिकारी अपीलाण्ट है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार किसी खातेदारान के निर्ववसीयती मृत्यु होने पर उसकी सम्पदा उसके पर्सनल कानून के अनुसार दायगत होगी। इसी प्रकार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार धारा 08 के अनुसार वादीनी स्वर्गीयश्रीमती पुनीबाई जो वचना वल्द बालु की पुत्री जो प्रथम वर्ग अनुसुची में आने से उसके 1/6 हिस्से की भूमि की उत्तराधिकारी होने के नाते हक व अधिकारी रखती थीं, तथा वादीनी की मृत्यु होने से 1/6 हिस्से के हक व अधिकारी वर्तमान में अपीलाण्ट है। इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट को 1/6 हिस्से की भुमि के उत्तराधिकारी होने के नाते वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार रखते हैं। इस कारण अपीलाण्ट को विवादग्रस्त भुमि के 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है एवं इसी आशय की अपीलाण्ट के पक्ष में खातेदारी उदघोषणा की डिकी बहक अपीलाण्ट विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट पारित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इसके साथ ही अपीलाण्ट मृतक खातेदार वचना वल्द बालु की एकमात्र संतान पुनी बाई के कायम मुकाम है, इस कारण उत्तराधिकारी होने से पर्सनल कानुन के अनुसार हक व अधिकार रखते हैं। चूंकि सेटलमेन्ट करते समय सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से वचना वल्द बालु की जगह बालु वल्द बालु दर्ज कर दिया, जो सेटलमेन्ट की गलती को सही दुरूस्त इन्द्राज कराने एवं उक्त वादग्रस्त भुमि के 1/6 हिस्से के अपीलाण्ट को खातेदार घोषित कराने के अपीलाण्ट हक व अधिकार रखते हैं। इसी कारण उक्त खातेदारी की उदघोषणा व रेकर्ड दुरस्ती की आज्ञाप्ति बहक अपीलाण्ट विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मूल खातेदार वचना वल्द बालु का देहान्त हो चुका है, वचना की एकमात्र संतान पुनी बाई का देहान्त भी हो चुका है, पुनी बाई के वैध वारिशान अपीलाण्ट है, जो अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है। अपीलाण्ट के पूर्वज अधिनस्थ न्यायालय की वादीया स्वर्गीय श्रीमती पुनी बाई ने रेवतराम को जो तथाकथित आम मुख्तियारनामा दिया था। वह विधिक रूप से तत्समय ही निरस्त कर दिया था। जिसकी जानकारी रेवतराम को भी थीं, फिर भी रेवतराम ने जैर अपीलाधीन आदेश के प्रकरण को नियमित रूप से रखकर मैरिट पर जानबुझकर आदेश पारित करवाया है। रेवतराम स्वयं की यह ईच्छा थीं कि अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण पुनी बाई के हक–हकूकों के विरुद्ध पारित हों। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण में वादीया पुनी बाई की सहमति नहीं थीं तथा न ही अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की अपीलाण्ट को जानकारी थीं, उक्त स्थिति में भी जैर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण का अपीलाण्ट के पक्ष में आदेश पारित कर राजस्व रेकर्ड में पूर्व अनुसार वास्तविक रूप से अमल दरामद किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। दिनांक 17.03.2024 को अपीलाण्ट जगदीश जब पाली आया, तथा अपने समाज के ही व्यक्ति से जगदीश की बात हुई, तब उसने कहा कि आपके पारिवारिक प्रकरण यहां चल रहे हैं, जिनका निस्तारण हो चुका है। चूंकि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश से संबंधित प्रकरण की पूर्व में जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थीं। न ही अधिवक्ता ने उनको जानकारी दी थीं, 2 दिन जांच करने पर प्रकरण की जानकारी हुई। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने अपने परिचित अधिवक्ता को दिनांक 23.03.2024 पुनी बाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से संबंधित प्रकरण की नकल मांग करने हेतु कहा, दिनांक 22.03.2024 को अपीलाण्ट को नकल मिलने पर प्रकरण की जानकारी हुई कि जैर अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय हो चुका है, तत्पश्चात उसी रोज दिनांक 20.03.2024 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने नकल आवेदन पेश किया, तथा नकल दिनांक 22.03.2024 को प्राप्त होने के बाद हाजा अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादीया पुनीदेवी द्वारा जरिये आम मुख्तियार रेवतराम की ओर से खातेदारी अधिकारों की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि दिनांक 17.03.2024 को अपीलाण्ट जगदीश जब पाली आया, तथा अपने समाज के ही व्यक्ति से जगदीश की बात हुई, तब उसने कहा कि आपके पारिवारिक प्रकरण यहां चल रहे हैं, जिनका निस्तारण हो चुका है। चूंकि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश से संबंधित प्रकरण की पूर्व में जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थीं। न ही अधिवक्ता ने उनको जानकारी दी थीं, 2 दिन जांच करने पर प्रकरण की जानकारी हुई। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने अपने परिचित अधिवक्ता को दिनांक 23.03.2024 पुनी बाई से संबंधित प्रकरण की नकल मांग करने हेतु कहा, दिनांक 22.03.2024 को अपीलाण्ट को नकल मिलने पर प्रकरण की जानकारी हुई कि जैर अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय हो चुका है, तत्पश्चात उसी रोज दिनांक 20.03.2024 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने नकल आवेदन पेश किया, तथा नकल दिनांक 22.03.2024 को प्राप्त होने के बाद हाजा अपील पेश की जा रही हैं। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र में एकमात्र वादिया के देहांत हो जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णय नहीं कर आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के साथ ही वादपत्र में कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी

मुकाम का अवसर दिए बिना जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित अपीलाधीन प्रकरण में वादीया अपीलांट्स की पूर्वज थीं। जिनका दिनांक 24.04.2016 को देहांत हो चुका है तथा वादीया पुनीबाई के विधिक वारिसान है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

4. हमारे विनम्र मत में चूंकि यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट्स मृतक वादिया के विधिक वारिसान है। अतः अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, पीड़ित व हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपीलांट्स को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.07.2008 को वादपत्र दर्ज होकर विवाद्यक कायम होकर दिनांक 12.04.2010 से साक्ष्य वादी में जैरकार था तथा दिनांक 13.06.2011 को साक्ष्य वादी पूर्ण होकर साक्ष्य प्रतिवादी में जैरकार था। इसी दरम्यान अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया पुनीदेवी का देहांत दिनांक 24.04.2016 को हो चुका है। जिससे आम मुख्तियारनामा प्रभावशून्य हो गया है। वादीया द्वारा अपने जीवनकाल में मुख्तियारधारक रेवतराम के पक्ष में एक वसीयतनामा एवं अंतिम इच्छापत्र दिनांक 11.06.2007 को निष्पादित किया था। जो वादीया की मृत्यु के पश्चात प्रभाव में आ चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया के स्थान पर रेवतराम को बतौर वादी संयोजित किये जाने एवं इसी अनुरूप वादपत्र में संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान करावें।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि वसीयतनामा तथा आम मुख्तियारनामा एक ही तारीख को निष्पादित किया गया है। वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं हैं एवं प्रोबेट नहीं करवाया गया है। अतः आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा वादीया पुनीदेवी का दिनांक 24.04.2016 को देहांत हो जाने से अंदर अवधि आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने से वादपत्र अबेट हो चुका है। अतः वादपत्र खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

7. अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मृतक वादिया के कायम मुकाम बाबत कार्यवाही हेतु अवसर दिए बिना आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निर्णयन के साथ ही वादपत्र को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया। जो गुणावगुण के आधार पर निर्णयन नहीं होकर महज यांत्रिक व तकनीकी रूप से किया गया निर्णय है।

8. अपीलांट्स मृतक वादीया पुनीदेवी के कायम मुकाम की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा अपीलांट संख्या 1 से 7 जरिये आम मुख्तियारधारक अपीलांट संख्या 8 की ओर से अपील प्रस्तुत की गई। वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात संवत 2011 में वचनाराम वल्द बालू कौम रायका हिस्सा 1/6 के नाम दर्ज थीं। सेटलमेंट के दौरान सन 1961 में सेटलमेंट कार्मिकों द्वारा गलती से वचनाराम वल्द बालु की जगह गलत रूप से बल्ला वल्द बालु कौम रायका दर्ज कर दिया गया। जो आगे से आगे इन्द्राज में दर्ज रहा। जिसकी शुद्धि के लिए वादीया द्वारा वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रथमदृष्टया प्रकरण में राजस्व कार्मिकों की गलती के कारण भू–अभिलेख में त्रुटि हुई हैं। वादीया द्वारा उक्त त्रुटि की शुद्धि की मांग की गई हैं तथा ऐसी त्रुटियों की शुद्धि किया जाना राजस्व न्यायालयों का कर्तव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के कायम मुकाम की कार्यवाही बाबत कोई अवसर दिए बिना आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ ही वादपत्र खारिज किया गया है। जिसे विधिसम्मत व युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए वादपत्र के उपशमन को अपास्त किया जाकर अपीलांट्स को मृतक वादिया के बतौर कायम मुकाम वादीगण पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णयन के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2018 बअनवान पुनीबाई बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2019 को अपास्त करते हुए उपशमन को अपास्त करते हुए अपीलांट्स को मृतक वादिया पुनीदेवी के कायम मुकाम के रूप में बतौर वादीगण पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्रकरण गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करें। अपीलांट्स को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 24.11.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, पाली में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकसील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner